संख्या-28/288/30-3-14-16बी/2013

प्रेषक,

संतोष कुमार रावत,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 04 मार्च, 2014

विषय- सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अमेठी के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-20नजा0/2014-35ए/2013, दिनॉक 28-01-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नये सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय (सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हॉल सहित) भवन के निर्माण कराने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मानकीकृत नक्शा तथा लागत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3064/30-3-2013-10बी/2013, दिनॉक 10-10-2013 में निहित निर्देशों के अनुसार कार्यदायी संस्था कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम) द्वारा गठित आगणन रू0 454.23 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की आंकलित लागत रू0 408.34 लाख (रूपये चार करोड़ आठ लाख चौंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 28-03-2013 में निहित निर्देशानुसार प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 204.17 लाख (रू0 दो करोड़ चार लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

3- प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

4- परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉं, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

6- उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष को होगा।

7- परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

8- नये सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय (सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हॉल सहित) भवन के निर्माण कराने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-3064/30-3-2013-10बी/2013, दिनॉक 10-10-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- द्वितीय किस्त/अन्तिम किस्त की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग हो जाने तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने की स्थिति में उपलब्ध करायी जायेगी।

http://sifasanadesh.up.nic.in

10- उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-108/दस-2014, दिनॉक 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-28/288(1)/तीस-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, फैजाबाद/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), अमेठी द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-सी0 एण्ड डी0एस0 (उत्तर प्रदेश जल निगम) द्वारा परिवहन आयुक्त।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in